Bihar Board Class 7 Social Science Civics Notes Chapter 2 राज्य सरकार

पाठ का सार संक्षेप

पिछले कक्षा में हमने सरकार के तीन स्तरों स्थानीय, राज्य और केन्द्र के बारे में जाना । पिछली कक्षा में हमने स्थानीय स्तर के बारे में विस्तार से जाना था और इस कंक्षा में हमलोग राज्य स्तर के बारे में विस्तार से जानेगें। राज्य स्तर पर सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, विधायक कौन होता है, विधान सभा के सदस्यां और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है और सरकार के सामने जनता अपनी लात कैसे रखती है।

विधायक का चुनाव – भारत के सभी राज्यों में एक विधान सभा है। इसके सदस्यों को विधायक (एम. एल. ए.) कहते हैं। प्रत्येक राज्य भी कई विधान सभा क्षेत्रों में बंटा होता है। एक क्षेत्र से कई चुनाव लड़ते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये सभी लोग उम्मीदवार कहलाते हैं। ये उम्मीदवार लोग अलग-अलग पार्टियों से खड़े होते हैं, जैसे कोई कांग्रेस पार्टी से, कोई भा.ज.पा. से, कोई राजन्द० से तो कोई जन्दव्यू. या लोज-पा० से । कुछ लोग निर्दलीय भी होते हैं, जो किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ते

हैं। सभी उम्मीदवार पहले नामांकन पत्र भरते हैं। फिर अपने प्रचार के
लिए विधान सभा क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर अपनी-अपनी पार्टी के
नेताओं का कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। इस तरह से अपनी-अपनी
पार्टी के विचारों को जनता के बीच पहुँचाया जाता है और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जाते हैं।

फिर चुनाव का दिन आता है। लोग सुबह से मतदान के लिए लम्बी-लम्बी कतारों में खड़े रहते हैं और अपनी बारी आने पर अपने पसंद के उम्मीदवार को जीताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा अपना मत देते हैं। शाम 5 बजे तक मतदान का कार्य होता है। उसके बाद फिर वोटों की गिनती का दिन आता है और गिनती समाप्त होने पर सभी उम्मीदवारों में से जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलता है, उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विजयी घोषित किया जाता है और चनाव जीतने वाला उम्मीदवार विधायक बन जाता है। ये पाँच वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं।

सरकार की कार्यप्रणाली सरकार में शामिल लोग जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री इत्यादि । इन सभी लोगों की समस्याओं पर कार्यवाई करनी होती है। इन मंत्रियों को विधान सभा में उठाए गए सवालों का जवाब देकर होता है और प्रश्नकर्ता को आश्वस्त करना होता है। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसका बजट सदन द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है और उसके बाद उस योजना की । पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदन लिया जाता है।

https://www.evidyarthi.in/